न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी आशीष मोदी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 43/2026 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

जे.एम. फाईनेंसियल एसेट रीकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड जरिये प्राधिकृत अधिकारी **जगदीश मीणा**

कार्यालयः– 7 तल, सनेर्जी, अप्पासाहेब मराठे मार्ग, प्रभादेवी, मुंबई, महाराष्ट्र–400025

–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. **अकीला बैंस पत्नी फारूक,** वार्ड नं. 17, एजी खान. रोड़, फतेहपुर, सीकर (राज.) 332301
2. **फारूक यासीन खान पुत्र यासीन खान बैंस,** वार्ड नं. 13, खानजी की हवेली के पास, फतेहपुर, सीकर (राज.) 332301

– अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

स्वीकृति आदेश

दिनांकः 20 अप्रेल, 2026

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री बाबुलाल मील** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **अकीला बैंस पत्नी फारूक** एवं **फारूक यासीन खान पुत्र यासीन खान बैंस** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति **प्लॉट पट्टा संख्या एन.पी./2022–23/फतेहपुर/540 दिनांक 21.10.2022 जो कि वार्ड संख्या 17, इमाम बाड़ा के पास, फतेहपुर शेखावाटी, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर (राज.)** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 40.98 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में 21, हाबिद पुत्र दाउद का मकान, पश्चिम

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

दिशा में 21, सामलाती रास्ता, उत्तर दिशा में 21,1 रमजान बैंस पुत्र नूर खां का मकान एवं दक्षिण दिशा में 21, असगर पुत्र सद्दीक का मकान स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹5,25,000/– रूपये (अक्षरे रूपये पांच लाख पच्चीस हजार)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **06.08.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **06.08.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) एवं समाचार पत्र की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **अकीला बैंस पत्नी फारूक** एवं **फारूक यासीन खान पुत्र यासीन खान बैंस** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति **प्लॉट पट्टा संख्या एन.पी./2022–23/फतेहपुर/540 दिनांक 21.10.2022 जो कि वार्ड**

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

संख्या 17, इमाम बाड़ा के पास, फतेहपुर शेखावाटी, तहसील फतेहपुर, जिला सीकर (राज.) में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 40.98 वर्गमीटर** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में 21, हाबिद पुत्र दाउद का मकान, पश्चिम दिशा में 21, सामलाती रास्ता, उत्तर दिशा में 21,1 रमजान बैंस पुत्र नूर खां का मकान एवं दक्षिण दिशा में 21, असगर पुत्र सद्दीक का मकान स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक / वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

6. आदेश आज दिनांक **20 अप्रेल, 2026** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(आशीष मोदी)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर